

सं.ई 11017/7/2020-हिन्दी/ 173

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

901 (द.) सेवा भवन, आर के पुरम,

नई दिल्ली 110066

दिनांक: 06 अप्रैल, 2023

परिपत्र

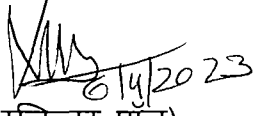
विषय: केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में दिनांक 11.04.2023 को विशेष हिन्दी कार्यशाला का आयोजन करने के संबंध में

केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में दिनांक 11.04.2023 को अपराह्न 02.30 बजे से एक विशेष हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें श्री राजेश श्रीवास्तव, उप निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा "राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में ई-टूल्स का प्रयोग" विषय पर व्याख्यान दिया जाएगा। यह हिन्दी कार्यशाला लाइब्रेरी बिल्डिंग, के.ज.आ. में आयोजित की जाएगी।

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 31.03.2023 को हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदय ने केन्द्रीय जल आयोग में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए ई-टूल्स का अधिकाधिक प्रयोग करने का सुझाव दिया तथा इस संबंध में अपेक्षित प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का निदेश दिया। माननीय अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग महोदय के निदेशानुसार उक्त कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में प्रोजेक्टर पर ई-टूल्स की प्रयोगविधि प्रदर्शित की जाएगी। क्षेत्रीय कार्यालयों को भी ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यशाला में जोड़ा जाएगा।

आयोग में हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में यह कार्यशाला अत्यंत लाभकारी और महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इसमें के.ज.आ. के सभी अधिकारी/कर्मचारी (निदेशक स्तर तक) भाग ले सकते हैं।

अतः सभी से अनुरोध है कृपया इस कार्यशाला में अवश्य भाग लें।


(रजिन्दर पाल)

उप निदेशक (राजभाषा)

बी.पी.एल. 3720

सेवा में:

केन्द्रीय जल आयोग के सभी अधिकारी/कर्मचारी (निदेशक स्तर तक)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव
2. सभी सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव
3. मुख्य अभियंता, मानव संसाधन प्रबंध के प्रधान निजी सचिव
4. उप निदेशक प्रशिक्षण, पीसीपी एवं एसएमडी को सूचना और अपेक्षित कार्रवाई हेतु